

दिनांक व तारीख
काम जो इस
की तारीख
जारी हुए

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कुशी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) भारायणा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार जोशी RAS

उनवान

शमरतन बनाम लैण्ड होल्डर तहसील नर मासलपुर

बाबत बन्धन कुशी चारा 88 R.T. Act.

मा नम्बर :-

दिनांक :-

वादी की ओर से लैण्ड नाडी की व प्रतिवादी की ओर से राजेश कुमार जोशी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/5/2017 राजेश कुमार जोशी (नाम पीठासीन अधिकारी) RAS उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और दी जाती है कि -

मत: दावा नाडी डिक्री जिना जादुर नाडी का नाम आराजी ख.नं. 469/2 खवा 5 बीघा 10 बिस्वा ग्राम गढ़मंडीरा तहसील मासलपुर के 1/2 बिस्ते में नाडी का नाम जिना जादुर नाडी के स्थान पर शमरतन उम्र नांगी जुरस्त कुर फर्ज किमे जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाडी इसी अनुसार नाडी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शमरतन अमल करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

आज तारीख 18/5/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

राजेश कुमार जोशी
(राजेश कुमार जोशी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया